उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
सं0–वे0आ0–1–1046 / दस–12–28(एम) / 2007
लखनऊः दिनांकः 11 अक्टूबर, 2012

इस अनुभाग के पत्र सं0–वे0आ0–1–404 / दस–2012–28(एम) / 2007 दिनांक 17 अप्रैल, 2012 के संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(8) / 2012–संस्था–II (ख) दिनांक 28 सितम्बर, 2012 की (हिन्दी व अग्रेजी) प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2012 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2 समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5 इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–वे0आ0–1–1046(1) / दस–2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3. प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।

सं. 1(8)/2012 संस्था.-II (ख)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 28 सितंबर, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान - 01.07.2012 से लागू संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 3 अप्रैल 2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(1)/2012-संस्था.II(ख) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को 01 जुलाई 2012 से 65 प्रतिशत से 72 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

2. इन आदेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय, इस मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(3)/2008-संस्था.-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध लागू रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

4. ये आदेश रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे तथा यह व्यय रक्षा सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

अ॰ शर्मा
(अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।